बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 36 दिनांक 26-07-2012

सेवा में,

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग,

बिहार, पटना।

विषयः– निर्गत वेतन पुर्जा में परिलक्षित त्रुटि के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति के प्रतिवेदन के उपरांत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वेतन निर्धारण आदेश एवं इसके आंशिक संशोधन आदेश (संकल्प संख्या-3ए-2वे०पु०- 16/9-630/पटना, दिनांक-21 जनवरी,2010 एवं संकल्प संख्या-3ए-2वे०पु०-16/9- 2210, दिनांक-26 फरवरी, 2010 के आलोक में वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पुर्जो में छठे वेतन आयोग की अनुशंसा का अनुमान्य वेतन में निम्नलिखित त्रुटियाँ है:-

1. वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या- 3ए०-2वे०पु०-16/09-630/पटना दिनांक-21.01.2010 द्वारा निर्गत वेतन निर्धारण संबंधी संकल्प की कंडिका 7[1-A(ii)] में पुनरीक्षित वेतनमान के मूल वेतन निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें अपुनरीक्षित वेतनमान के दो या दो से अधिक वेतन बिन्दु पर कार्यरत पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान में एक साथ गुच्छित हो जाने की स्थिति में नए वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। प्रथम द्रष्टया वित्त

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द्र वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :........................ दिनांक ....

(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा में अंकित वेतन गणना में इसका अनुपालन नहीं किया गया प्रतीत होता है, उदारणार्थ बिहार प्रशासनिक सेवा के 40वीं बैच (योगदान वर्ष 1997) का अपुनरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 को वेतन-8100, 41वीं बैच (योगदान वर्ष 1999) का अपुनरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 को वेतन -7700 तथा 42वीं बैच (योगदान वर्ष-2000) का अनुपरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 को वेतन 7500 था, जबकि इन तीनों बैच के पदाधिकारियों का वेतन पुर्जा में दिनांक-01.01.2006 को इनका वेतन PB-3 के वेतन बैण्ड एवं 5400 के ग्रेड वेतन का एक ही वेतन बिन्दु पर निर्धारित किया गया है। उपर में वर्णित कंडिका के आलोक में निर्गत किए गये एवं किये जा रहे वेतन पुर्जो में वेतन निर्धारण आदेश का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

2. ज्ञात हुआ है कि संचिका माननीय मुख्यमंत्री से विमर्श के क्रम में था इस संबंध में संघ द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री का निष्पादन कराने का अनुरोध संघ के पत्रांक-32 दिनांक-21.11.11 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भी किया गया । परन्तु निष्कर्ष आना अभी भी प्रतीक्ष्य है।

अनुरोध है कि इसका भी निष्पादन शीघ्र कराया जाय।

विश्वासभाजन

[signature] 28/01/12

(सुशील कुमार)

महासचिव